


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1733/2012

जिला : जोधपुर

उनवान : घूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जोधपुर बनाम सी.टी.ओ. वृत्त-सी, जोधपुर

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 27.3.2015 | <p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष</u></p> <p>अपीलप्रार्थी/वकील श्री वी.के.पारीक एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री डी. पी ओझा उपस्थित।</p> <p>श्री वी.के.पारीक ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी एमनेस्टी स्कीम, 2015 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेने के क्रम में प्रस्तुत अपील को विद्झा करना चाहते है। इस बाबत् श्री वी.के.पारीक ने प्रार्थना पत्र भी पेश किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभागीय प्रतिनिधि ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।</p> <p>अतः श्री वी.के.पारीक एडवोकेट का अपील को विद्झा करने का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये विद्झाअल खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।</p> | |